प्रतिलिपि आदेश दिनांक 19–11–15 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण कमांक निग0 3750–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–11–2015 पारित द्वारा तहसीलदार, गोहलपुर जिला जबलपुर प्रयकरण कमांक 01/बी–121/2015–16.

———

श्रीमती सुनीता यादव
पत्नि योगेश यादव पुत्री स्व. गोविंद यादव
निवासी करमेता, जिला जबलपुर
द्वारा मुख्त्यार श्री जिया उल हक्क पिता आई हक्क
निवासी आधारताल, जबलपुर ——— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ——— अनावेदक

———

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3750-एक/15 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-11-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, गोहलपुर जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 01/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 3-11-15 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं तहसीलदार के आलोच्य आदेश, राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-5-2001 एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । इस प्रकरण में मुख्य वैधानिक बिंदु यह है कि क्या तहसीलदार द्वारा अपने पूर्व के आदेश दिनांक 26-9-15 के आदेश को निरस्त करने हेतु संहिता की धारा 32 का उपयोग करना विधिसंगत है या नहीं ? संहिता की धारा 32 के प्रावधानों का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कोई अन्य प्रावधान न हों । चूंकि संहिता की धारा 51 में पुनरावलोकन के स्पष्ट प्रावधान हैं ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 32 का उपयोग करते हुए अपने पूर्व के आदेश को निरस्त करना न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1988 आर0एन0 232 एवं 279 अवलोकनीय हैं । न्यायदृष्टांत 1988 आर0एन0 232 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि नामांतरण का पूर्ववत आदेश -धारा 32 के अधीन पुनः प्रारंभ या पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता - उचित उपचार अपील अथवा पुनरावलोकन है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1988 आर0एन0 279 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पूर्व का नामांतरण ओश - अपील या पुनरावलोकन के उपचार का उपयोग नहीं किया गया - ऐसा आदेश अंतर्निहित शक्तियों के अधीन अपास्त नहीं किया जा सकता । अतः इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा पूर्व में दिनांक 26-9-15 को पारित आदेश को संहिता की धारा 32 का उपयोग करते हुए आवेदिका को बिना सुने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त करना किसी भी दृष्टि से उचित	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नहीं ठहराया जा सकता । दर्शित परिस्थिति में तहसीलदार का आलोच्य आदेश दिनांक 3-11-15 इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है । यह स्पष्ट किया जाता है कि तहसीलदार यदि यह मानते हैं कि उनके द्वारा दिनांक 26-9-15 को पारित आदेश में कोई त्रुटि हुई है तो वे संहिता के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी/न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर संबंधित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधिवत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । सदस्य	